पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 65/2020

थाना मामला संख्या- 225 वर्ष-2014 से उत्पन्न, थाना- बेलहर, जिला- बांका

==========

जगरनाथ यादव उर्फ मिश्राजी, पुत्र- हारो यादव, निवासी- गांव- कठबजरा, थाना- झाझा, जिला- जमुई

.... अपीलकर्ता/ओं

बनाम

बिहार राज्य

.... प्रतिवादी/ओं

==========

के साथ

आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 103/2020

थाना मामला संख्या- 225 वर्ष-2014 से उत्पन्न, थाना- बेलहर, जिला- बांका

==========

प्रकाश यादव उर्फ परना, पुत्र- स्वर्गीय भुनेश्वर यादव, निवासी- गांव- बेला, थाना- बेलहर, जिला- बांका

.... अपीलकर्ता/ओं

बनाम

बिहार राज्य

.... प्रतिवादी/ओं

==========

के साथ

आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 116/2020

थाना मामला संख्या- 225 वर्ष-2014 से उत्पन्न, थाना- बेलहर, जिला- बांका

==========

महेंद्र यादव, पुत्र स्वर्गीय नागेश्वर यादव, निवासी- गांव-बेला, थाना- बेलहर, जिला- बांका

.... अपीलकर्ता/ओं

बनाम

बिहार राज्य

.... प्रतिवादी/ओं

==========

के साथ

आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 189/2020

थाना मामला संख्या- 225 वर्ष-2014 से उत्पन्न, थाना- बेलहर, जिला- बांका

==========

दशरथ यादव, पुत्र स्वर्गीय जागेश्वर यादव, निवासी- गांव- बेला, थाना- बेलहर, जिला- बांका

.... अपीलकर्ता/ओं

बनाम

बिहार राज्य

.... प्रतिवादी/ओं

==========

के साथ

आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 529/2022

थाना मामला संख्या- 225 वर्ष-2014 से उत्पन्न, थाना- बेलहर, जिला- बांका

==========

इन्द्रदेव यादव, पुत्र स्वर्गीय भुनेश्वर यादव, ग्राम- निवासी- बेला, थाना-बेलहर, जिला-बांका

.... अपीलकर्ता/ओं

बनाम

बिहार राज्य

.... प्रतिवादी/ओं

==========

उपस्थिति :

(आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 65/2020 में)

अपीलकर्ता/ओं के लिए : श्री राजेश कुमार सिन्हा, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री सुजीत कुमार सिंह, एपीपी

(आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 103/2020 में)

अपीलकर्ता/ओं के लिए : श्री राजेश कुमार सिन्हा, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री सुजीत कुमार सिंह, एपीपी

(आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 116/2020 में)

अपीलकर्ता/ओं के लिए : श्री राजेश कुमार सिन्हा, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री सुजीत कुमार सिंह, एपीपी

(आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 189/2020 में)

अपीलकर्ता/ओं के लिए : श्री उदित एन.आर. सिंह, अधिवक्ता

श्री गजेंद्र कुमार सिंह, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री अजय मिश्रा, एपीपी

(आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 529/2022 में)

अपीलकर्ता/ओं के लिए : श्री राजेश कुमार सिन्हा, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री सुजीत कुमार सिंह, एपीपी

==========

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 – धाराएँ 364, 302 साथ में पढ़ा जाए धारा 34 – आयुध अधिनियम, 1959 – धारा 27 – अपहरण और हत्या – अपीलर्थी सब सूचना देने

वाले/मृतक के गोत्रज है, भूमि विवाद के वजह से उन्हें गलत आलिप्त किया गया मृतक के अपहरण और हत्या के लिए – मृतक का आपराधिक इतिहास था और उस पर 27 आपराधिक वाद दाखिल थे – चिकित्सा साक्ष्य भी प्रत्यक्षदर्शी के अपहरण की घटना का समर्थन नहीं करते है – मृतक की हत्या का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है – न ही कोई हथियार की बरामदगी हुई है और न ही अन्वेषक एजेंसी द्वारा अपीलार्थियों को मृतक की हत्या की घटना से जोड़ने के लिए कोई अन्य सबूत/साक्ष्य एकत्र किए – अभियोजन पक्ष अपहरण की घटना को साबित करने में विफल रहा – प्रत्यक्षदर्शी भरोसेमंद नहीं है और वह मृतक के करीबी रिश्तेदार है और उनके बयानों में विसंगतियाँ है – अभियोजन पक्ष, अपीलार्थियों के खिलाफ मामले को उचित युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में विफल रहा – विवादित दोससिद्धि का निर्णय और दंडादेश का आदेश अभिखंडित और अपास्त किया जाता है – अपीलार्थियों को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी किया गया – अपील अनुज्ञात किया गया।

(पारा 21, 23 से 26)

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

न्यायालय: माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश चंद मालवीय

मौखिक निर्णय

(द्वारा : माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली)

दिनांक : 10-05-2024

सभी वर्तमान अपीलें दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे आगे 'संहिता' कहा जाएगा) की धारा 374(2) के अंतर्गत दायर की गई हैं, जिसमें बेलहर थाना से उत्पन्न सत्र परीक्षण संख्या 418/2017, जी.आर. संख्या 2618/2014 में विद्वान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-द्वितीय, बांका द्वारा पारित दोषसिद्धि के दिनांक 17.12.2019 के निर्णय और दिनांक 19.12.2019 के सजा के आदेश को चुनौती दी गई है। मामला संख्या 225/2014 दिनांक 26.12.2014, जिसके तहत संबंधित विचारण न्यायालय ने वर्तमान अपीलकर्ताओं को आईपीसी की धारा 364, 302 सहपठित धारा 34 और आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया है और अपीलकर्ताओं सहित पांच आरोपियों को दोषी ठहराया है और उन्हें आईपीसी की धारा 364 के तहत अपराध के लिए 10 साल के लिए आर.आई. और 10,000/- रुपये का जुर्माना लगाने की सजा सुनाई है और जुर्माना अदा न करने पर उन्हें 30-30 दिन के साधारण कारावास की सजा काटनी होगी। सभी पांच दोषियों और अपीलकर्ताओं सहित सभी आरोपियों को आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भुगतने का निर्देश दिया गया है। प्रत्येक को 10,000/- रुपये का जुर्माना लगाया गया है और जुर्माना अदा न करने पर उन्हें धारा 302 आईपीसी के तहत अपराध के लिए 30 दिनों के लिए एस.आई. और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत अपराध के लिए 5,000/- रुपये का जुर्माना और जुर्माना अदा न करने पर 15 दिनों के लिए एस.आई. भुगतना होगा। सभी सजाएँ एक साथ चलने का निर्देश दिया गया है।

2. अपील दायर करने के लिए आवश्यक तथ्य निम्नवत हैं:-

2.1. दिनांक 25.12.2014 को सूचक का मृतक भाई बैजू यादव अपनी मोटरसाइकिल से ग्राम बेला जा रहा था। लगभग 05:00 बजे संध्या में काली यादव, जगरनाथ यादव एवं अरविंद यादव सहित सभी अभियुक्तगणों ने मिलकर बेला पुल पर उसे घेर लिया तथा मोटरसाइकिल सहित उसका अपहरण कर लिया तथा उसी समय सूचक ने

इसकी सूचना स्थानीय थाना को दी तथा दिनांक 26.12.2014 को सूचक को पता चला कि उसके भाई बैजू यादव का शव पैरगाहा चौक के पास पड़ा है, तब वह वहां गया तथा अपने भाई के शव की पहचान की। घटना का कारण महेंद्र यादव से भूमि विवाद बताया गया है तथा उनके बीच भूमि विवाद के मामले की पैरवी मृतक बैजू यादव द्वारा की गई थी। आगे यह भी कहा गया है कि आरोपियों में से एक अरविंद यादव काली यादव का सहयोगी था और उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था और उसके भाई की हत्या उसके शरीर पर गोलियां मारकर की गई थी।

2.2 एफआईआर दर्ज होने के बाद, जांच अधिकारी ने जांच शुरू की और जांच के दौरान उन्होंने गवाहों के बयान दर्ज किए और उसके बाद संबंधित मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष अपीलकर्ता/आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। चूंकि मामला विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय था, इसलिए विद्वान मजिस्ट्रेट ने इसे सत्र न्यायालय को सौंप दिया जहां इसे सत्र परीक्षण संख्या 418/2017, जी.आर. संख्या 2618/2014 के रूप में पंजीकृत किया गया।

3. विद्वान वकील श्री उदित नारायण सिंह को श्री गजेंद्र कुमार की सहायता से सुना गया आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 189/2020 में और श्री अजय मिश्रा, प्रतिवादी-राज्य के लिए विद्वान ए.पी.पी. द्वारा प्रस्तुत किया गया था।

3.1. हमने अन्य सभी अपीलों में अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील श्री राजेश कुमार सिन्हा और प्रतिवादी-राज्य के लिए विद्वान ए.पी.पी. श्री सुजीत कुमार सिंह को भी सुना है।

4. संबंधित अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकीलों ने मुख्य रूप से प्रस्तुत किया कि यद्यपि यह आरोप लगाया गया है कि बैजू यादव का 25.12.2014 को लगभग 05:00 बजे अपहरण कर लिया गया था, उक्त घटना के संबंध में एफ.आई.आर. सूचक लट्टू यादव या अन्य तथा कथित चश्मदीदों द्वारा तुरंत दर्ज नहीं की गई थी और

केवल अगले दिन यानी 26.12.2014 को मृतक बैजू यादव का शव मिलने के बाद एफ.आई.आर. दर्ज की गई थी। इस प्रकार, मृतक के मुखबिर और निकट संबंधियों का आचरण अस्वाभाविक था। यह भी कहा गया है कि यदि अपहरण के सिद्धांत पर इस न्यायालय द्वारा विश्वास नहीं किया जाता है, तो अपीलकर्ताओं/दोषियों द्वारा मृतक की हत्या का कोई गवाह नहीं है। अन्यथा भी, वर्तमान मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य का है और अभियोजन पक्ष परिस्थितियों की श्रृंखला को पूरा करने में विफल रहा है, जिससे यह स्थापित किया जा सके कि अपीलकर्ताओं ने कथित अपराध किए हैं और इसलिए, आरोपित निर्णय और आदेश को रद्द किया जाना चाहिए और अपास्त किया जाना चाहिए।

5. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकीलों ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान का संदर्भ दिया है और उसके बाद प्रस्तुत किया है कि बयान में बड़े विरोधाभास हैं और यहां तक कि पीडब्लू-3 के अनुसार, केवल एक आरोपी, अर्थात् प्रकाश यादव उर्फ परना ने मृतक यानी बैजू यादव का अपहरण किया था। उक्त गवाह को पक्षद्रोही घोषित नहीं किया गया है और इसलिए, अभियोजन पक्ष के गवाहों के माध्यम से रिकॉर्ड पर दो अलग-अलग संस्करण सामने आ रहे हैं।

6. यह भी कहा गया है कि मृतक का *पोस्टमार्टम* करने वाले डॉक्टर ने न्यायालय के समक्ष विशेष रूप से यह बयान दिया है कि मृत्यु के बाद का समय 36 घंटे के भीतर था। यह बताया गया है कि मृतक का *पोस्टमार्टम* 26.12.2014 को दोपहर 02:00 बजे के आसपास किया गया था। इस प्रकार, चिकित्सा साक्ष्य तथा कथित चश्मदीद गवाहों के बयान का समर्थन नहीं करते हैं।

7. यह भी कहा गया है कि किसी भी आरोपी से हथियार की बरामदगी/खोज नहीं हुई है और न ही जांच अधिकारी द्वारा कोई अन्य संबंधित साक्ष्य एकत्र किया गया है। इस स्तर पर, यह बताया गया है कि जांच अधिकारी ने जिरह के दौरान स्वीकार किया है कि मृतक का आपराधिक इतिहास था और उसके खिलाफ 27

मामले दर्ज थे। इस प्रकार, इस बात की पूरी संभावना है कि मृतक के साथ दुश्मनी के कारण किसी और ने उसकी हत्या की है। हालांकि, वर्तमान अपीलकर्ता, जो सगे-संबंधी हैं, को चल रहे भूमि-विवाद के कारण सूचक द्वारा झूठा फंसाया गया है। इसलिए, विद्वान वकीलों ने आग्रह किया कि इन सभी अपीलों को स्वीकार किया जाए और आरोपित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया जाए और अलग रखा जाए।

8. दूसरी ओर, विद्वान ए.पी.पी. ने वर्तमान अपीलों का विरोध किया है। यह तर्क दिया गया है कि अपहरण की घटना के प्रत्यक्षदर्शी गवाह हैं और उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है। इस प्रकार, अपीलकर्ताओं ने मृतक बैजू यादव का अपहरण किया और अगली सुबह उक्त बैजू यादव का शव बरामद हुआ। अभियोजन पक्ष द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए गए और उसी के आधार पर विचारण न्यायालय ने विवादित निर्णय और आदेश पारित किया है। इसलिए, वर्तमान अपीलों में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

9. हमने विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए संपूर्ण साक्ष्यों का पुनः मूल्यांकन किया है। हमने पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकीलों द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों पर भी विचार किया है। सूचक के *फर्दबयान* के अनुसार दिनांक 25.12.2014 को लगभग 05:00 बजे सायं उसके भाई बैजू यादव को नामजद अभियुक्तों द्वारा अपहरण कर लिया गया तथा अगली सुबह अर्थात् दिनांक 26.12.2014 को बैजू यादव का शव बरामद हुआ, जिसके आधार पर नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज की गई। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से पता चलता है कि उक्त आरोप के समर्थन में अभियोजन पक्ष ने अभि.सा.-1 से अभि.सा.-5 तक का परीक्षण किया है। यदि उपरोक्त गवाहों के बयान की सावधानीपूर्वक जांच की जाए तो पता चलता है कि उनके बयानों में भारी विरोधाभास है। अभि.सा.-3 ने अपहरण की घटना का प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा किया है, लेकिन उसने केवल एक अभियुक्त प्रकाश यादव का

नाम बताया है, जबकि अन्य गवाहों ने वर्तमान अपीलकर्ताओं के नाम बताते हुए आरोप लगाया है कि उन्होंने मृतक बैजू यादव का अपहरण किया है। यहां तक कि मृतक के भाई सूचक और मृतक के अन्य निकट संबंधियों का आचरण भी अस्वाभाविक था। सूचक ने स्वयं जिरह के दौरान कहा है कि उन्होंने बैजू यादव की तलाश करने की कोशिश की थी। लेकिन जब वह नहीं मिला तो वे घर लौट आए और रात में सो गए, जबकि कुछ गवाहों ने कहा है कि पुलिस को तुरंत शाम को ही सूचना दे दी गई थी। लेकिन अभिलेखों और जांच अधिकारी के बयान से ऐसा कुछ भी सामने नहीं आ रहा है कि पुलिस को अपहरण की घटना की सूचना 25.12.2014 को शाम 05:00 बजे के बाद दी गई थी।

10. अभि.सा.-1 झलिया देवी ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बयान दिया है कि घटना के दिन बैजू को पकड़ कर पीटा गया तथा मोटरसाइकिल पर बैठा लिया गया। वह शोर मचाते हुए घर गई। आरोपीगण बैजू यादव को पकड़ कर ले गए। उसे पीटा गया तथा परघा चौक पर फेंक दिया गया। बैजू के परिजन तथा वह स्वयं वहां देखने गए, जहां उन्होंने बैजू का शव देखा। उसके पेट, छाती तथा कान में जख्म थे।

10.1. जिरह में उसने बताया है कि बैजू अपने परिवार के साथ उल्ही में रहता था। घटना के समय पुल के पास कई लोग थे, जिनके नाम नहीं बताए जा सकते तथा वे सभी बेला गांव के थे। आगे उसने बताया है कि बैजू मोटरसाइकिल से जा रहा था, तभी मोटरसाइकिल रोकी गई। वह *शोर* मचाते हुए घर गई थी। आगे बताया है कि अगले दिन शोर मचा कि परघा चौक पर शव पड़ा है। इसके बाद सभी परिवार के लोग और वह खुद वहां देखने गए। बैजू मृत अवस्था में पड़ा था। वहां काफी भीड़ थी। भीड़ में शामिल लोग भी कुछ नहीं बोले। यह भी बताया गया है कि बैजू उसका साला था। सभी आरोपी उसके सगे भाई हैं। आरोपियों के बीच जमीन का विवाद चल रहा था। उनके घर आना-जाना, खाना-पीना वर्जित था।

11. अभि.सा.-2 अरविंद यादव ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि आरोपियों ने बैजू यादव को घेर लिया था। घेरने के बाद वे उसे जबरन मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले गए। वहां पहले से तीन मोटरसाइकिलें खड़ी थीं। बैजू यादव की मोटरसाइकिल भी वे लोग छीन ले गए थे। उसने *शोर* मचाया। कुछ ही देर में वे लोग उसे लेकर चले गए। वे उसे पश्चिम परखा की ओर ले गए। बैजू यादव का जब अपहरण हुआ तो अभि.सा.-2 ने अनिल बाबू (दरोगा जी) को फोन किया तो उन्होंने उसे कहीं न जाकर उसे तलाशने को कहा और यह भी कहा कि वे भी उसे तलाश रहे हैं। बताया गया है कि एफ.आई.आर. पर उनके हस्ताक्षर हैं। यह घटना भूमि विवाद के कारण घटित हुई।

11.1 जिरह में उन्होंने बताया है कि बैजू यादव उनके सहग्रामीण हैं। वे गांव के रिश्ते में उनके भाई हैं। बताया है कि घर से पुल पर जाते समय उनकी मुलाकात 6-7 लोगों से हुई। मुन्ना यादव, घोटा यादव, नंदकेशव यादव और चौधरी यादव से उनकी मुलाकात हुई और बातचीत हुई। यह भी बताया है कि पुल के पास दो लोग थे। *शोरगुल* हो रहा था। *शोरगुल* सुनकर सड़क पर मौजूद लोग पुल की ओर भागे। शंकर यादव और अन्य लोग लौट रहे थे। जब सभी लोग वहां पहुंचे, तब तक आरोपीगण बैजू यादव का अपहरण कर चुके थे। वह उनका पीछा नहीं कर सका। डर के कारण कोई उनका पीछा नहीं कर सका। यह भी बताया है कि आरोपीगण बैजू के सगे भाई हैं। भूमि विवाद था। उनका एक-दूसरे से मिलना-जुलना और बातचीत नहीं थी।

12. अभि.सा.-3 सुन्दर यादव ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बयान दिया है कि घटना 2014 में शाम 05:00 बजे हुई थी। वह मवेशीखाने से आ रहा था। प्रकाश यादव बेला पुल के पास झाड़ी में छिपा हुआ था। बैजू यादव उत्तर दिशा से आया और प्रकाश यादव ने उसे पकड़ लिया और उसके हाथ पीछे बांध दिए। फिर प्रकाश यादव ने उसे मोटरसाइकिल पर बैठाया और पश्चिम दिशा की ओर ले गया। अगली सुबह लगभग 05:00 बजे प्रकाश यादव ने उसे फोन करके बताया कि बैजू यादव की हत्या कर दी गई है और

उसका शव पैरघा चौक पर पड़ा है। वे वहां गए और बैजू यादव का शव देखा। बैजू यादव के सिर, सीने और हाथ पर गोली के निशान थे। फिर अरविंद यादव ने पुलिस को फोन किया। पुलिस ने पैरघा मोड़ पर बैजू यादव के भाई लट्टू यादव का बयान दर्ज किया। उसने भी बयान पर हस्ताक्षर किए।

12.1. जिरह में उसने बताया कि बैजू यादव अपनी मोटरसाइकिल से आ रहा था। वह उस मोटरसाइकिल का नंबर नहीं बता सकता। उसने *शोर* मचाया। गोशाला के लोग भी वहां पहुंचे, लेकिन तब तक वे बैजू यादव का अपहरण कर चुके थे। वे उसकी मोटरसाइकिल भी उठा ले गए थे। मोटरसाइकिल को शव के पास छोड़ गए थे। सुबह पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस गांव से 9 किलोमीटर दूर पैरघा पहुंची। यह भी बताया कि लट्टू उसका चचेरा भाई है। बैजू यादव जब उत्तर दिशा से आया तो उसे प्रकाश यादव ने पकड़ लिया और उसके हाथ पीछे बांधकर उसे जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बैठा लिया और फिर प्रकाश यादव पश्चिम दिशा की ओर भाग गया।

13. अभि.सा.-4 चमेली देवी ने अपने मुख्य परीक्षण में बयान दिया है कि उसका पति बैजू यादव उल्ही से बेला जा रहा था। अरविंद यादव ने उसे फोन करके बताया था कि उसके पति का परम यादव, इंद्रदेव यादव और महेंद्र यादव ने अपहरण कर लिया है। गांव के लोग उसके साथ पैरघा चौक पर गए। पुलिस वहां पहुंची, पूछताछ की और फिर शव को अपने साथ ले गई।

13.1. जिरह में उसने बताया है कि घटना के दिन वह और उसका पति उल्ही में थे। बेला 4 *कोस* (दूरी मापने के पैमाने के अनुसार एक *कोस* लगभग 3000 मीटर होता है) की दूरी पर है। सुबह 6:00 बजे उसे अरविंद से खबर मिली कि उसके पति का शव पैरघा चौक पर पड़ा है। पैरघा चौक बेला से 6 *कोस* की दूरी पर है। वह वहां पैदल गई थी। वहां उसने अपने पति का शव देखा।

14. अभि.सा.-5 लट्टू यादव ने अपने मुख्य परीक्षण में बताया है कि घटना के दिन उसका भाई बैजू यादव अपनी मोटरसाइकिल से उल्ही गांव से बेला गांव जा रहा था, तभी प्रकाश यादव, इंद्रदेव यादव, महेंद्र यादव, वीरेंद्र यादव, सुरेंद्र यादव, कैलाश यादव और दशरथ यादव ने उसके भाई को बेला पुल के पास पकड़ लिया और मोटरसाइकिल सहित अगवा कर लिया। अगले दिन सुबह चार बजे चार लोग जंगल में उसे खोजने गए। उस समय उसके चचेरे भाई अरविंद यादव के पास मोबाइल था। उसने फोन कर पूछा कि वे कहां हैं, तो उसने बताया कि वे जंगल में हैं। इसके बाद झाझा से पुलिस पहुंची और उससे पूछताछ की। बताया गया है कि जमीन का विवाद था और इसी के चलते यह घटना घटी।

14.1 जिरह में उसने बताया कि उसका गांव उल्ही से चार *कोस* की दूरी पर है। उल्ही में उसका भाई बैजू यादव रहता है। बाद में बताया कि बैजू यादव के अपहरण की *बात* सुनकर सभी परिवार के लोग घर से बाहर निकलकर उसे खोजने लगे। सिर्फ उसके परिवार के लोग यानी चचेरा भाई सुंदर यादव, अरविंद यादव, सुखदेव यादव, सुफल यादव और वह खुद बैजू की तलाश में निकले थे। परिवार के अन्य सदस्य भी उसकी तलाश में निकले थे। उन्होंने उसकी तलाश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रात आठ बजे तक उसकी तलाश की, लेकिन वह नहीं मिला तो घर लौटकर सो गए। रात में बैजू की तलाश नहीं की। घटना की सूचना बेलहर थाने को फोन पर दी थी। पुलिस रात में नहीं पहुंची और अगली सुबह भी नहीं पहुंची। शव देखकर उसने पुलिस को सूचना दी थी। एस.एच.ओ. ने बताया कि वह रात 11:00 बजे पैरघा चौक पर शव देखकर लौटा था।

15. अभि.सा.-6 रोना देवी ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है और उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

16. अभि.सा.-7 जवाहर प्रसाद जांच अधिकारी हैं, जिन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि जांच का कार्यभार संभालने के बाद वे घटनास्थल पर पहुंचे और

उसका निरीक्षण किया तथा घटनास्थल की सीमा का निरीक्षण किया तथा वहां उपस्थित लोगों का बयान दर्ज किया। मृतक का शव झाझा थाना अंतर्गत पैरघा चौक से बरामद किया गया। मृतक के शव का *पोस्टमार्टम* जमुई अस्पताल में कराया गया।

16.1. अपने जिरह में उन्होंने कहा है कि *फर्दबयान* अनिल कुमार पासवान की लिखावट में नहीं है। फर्दबयान पर उनका हस्ताक्षर नहीं है। कागजों पर जो भी कार्रवाई की गई, वह झाझा पुलिस के समक्ष की गई थी, उस पर उनका हस्ताक्षर नहीं है। *पोस्टमार्टम* झाझा पुलिस ने कराया था। कहा गया है कि मृतक और आरोपी सगे भाई हैं। उन्हें नहीं पता कि उनके बीच कोई भूमि विवाद है या नहीं। जांच के क्रम में यह बात सामने आई कि मृतक आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त था। *पोस्टमार्टम* रिपोर्ट और जांच रिपोर्ट झाझा थाना द्वारा उन्हें उपलब्ध कराई गई।

17. अभि.सा.-8 धीरज कुमार भी जांच अधिकारी हैं, जिन्होंने बयान दिया कि आरोप स्वीकार करने के बाद 03.09.2016 को उन्होंने अभिलेख का अवलोकन किया, जिसमें उन्होंने अभियुक्त के आपराधिक इतिहास की जांच की और डायरी का अवलोकन किया।

17.1. अपने जिरह में उन्होंने कहा है कि जांच के दौरान उनके द्वारा गवाहों का बयान दर्ज नहीं किया गया, न ही घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और न ही साक्ष्य सामग्री जब्त की गई।

18. अभि.सा.-9 प्रकाश यादव ने कहा है कि उन्हें घटना की खबर सुबह मिली। उस समय वे घर पर थे। उन्हें पता चला कि बैजू यादव की हत्या कर दी गई है। उन्होंने बैजू यादव का शव देखा। एक गोली कान पर तथा एक गोली पेट पर लगी थी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि उन्होंने अपनी आंखों से किसी को घटना को अंजाम देते नहीं देखा।

19. अभि.सा.-10 डॉ. नगीना पासवान वह डॉक्टर हैं जो 26.12.2016 को सदर अस्पताल, जमुई में एम.ओ. के पद पर पदस्थापित थे। उन्होंने बैजू यादव के शव की जांच की थी तथा निम्न चोटें पाई थीं:-

"मृत्यु-पूर्व चोटें:-

1. बाह्य रूप से आंखें खुली हुई थीं, मुंह बंद था, सभी अंगों में मृत शरीर में कठोरता थी।

(i) बाएं कान के ऊपर काली और जली हुई त्वचा के साथ कटा हुआ घाव, आकार 1/4″ x 1/4″ x ट्रैक गहरा, प्रवेश घाव।

(ii) खोपड़ी के दाहिने पार्श्विका क्षेत्र का कटा हुआ घाव, आकार 1/2″ x 1/2″ ट्रैक गहरा, चोट संख्या 1 से बाहर निकलना।

(iii) अंडाकार आकार का कटा हुआ घाव, 3/4″ व्यास में, पेट के बाएं हिस्से का काला और जला हुआ भाग, बाएं तटीय मार्जिन आंत से 5″ नीचे, प्रवेश घाव।

(iv) पेट के बाएं हिस्से पर अंडाकार आकार का कटा हुआ घाव, चोट संख्या 3 से 3″ नीचे, 1/4″ व्यास में, प्रवेश घाव।

(v) पेट के बाएं हिस्से के पिछले हिस्से पर अंडाकार आकार का घाव, 1/2″ व्यास का, चोट नं. 4 का निकास घाव।

(vi) दाएं निचले सीने पर अंडाकार आकार का घाव, 1/4″ व्यास का, प्रवेश घाव।

(vii) बाएं निचले सीने की पार्श्व सतह पर अंडाकार आकार का घाव, 1/2″ व्यास का, चोट नं. 6 का निकास घाव।

(viii) विच्छेदन पर- खोपड़ी की हड्डी बरकरार, मस्तिष्क पदार्थ मेनिन्जेस बरकरार।

2. छाती और पेट:

दोनों फेफड़ों का निचला लोब फटा हुआ था, दिल खाली था, पेट खाली था, छोटी और बड़ी आंत फटी हुई थी, यकृत, तिल्ली, गुर्दे पीले थे।

मृत्यु का कारण: आग्नेयास्त्रों से हुई उपरोक्त चोटों के कारण रक्तस्राव और सदमा।

मृत्यु के बाद का समय: 36 घंटे के भीतर।"

20. अभि.सा.-11 मुकेश कुमार झा ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बयान दिया है कि दिनांक 26.12.2014 को वे झाझा थाना में पुलिस उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थापित थे। उसी दिन उन्होंने पैरघा चौक जिसे पटेल चौक भी कहते हैं, पर लट्टू यादव का बयान दर्ज किया था। उन्होंने मृतक के परिजनों की उपस्थिति में शव के पास *फर्दबयान* दर्ज किया था। *फर्दबयान* उनके हस्तलेख में है तथा उस पर उनके हस्ताक्षर भी हैं।

20.1. अपने जिरह में उन्होंने कहा है कि *फर्दबयान* बेलहर पुलिस के समक्ष दर्ज किया गया था। घटनास्थल झाझा थाना में आता है। मामला झाझा थाना में दर्ज नहीं किया गया था।

21. अभिलेख से यह भी पता चला है कि मृतक के शव का *पोस्टमार्टम* करने वाले अभि.सा.-10 (डॉक्टर) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि *पोस्टमार्टम* 26.12.2014 को दोपहर लगभग 02:00 बजे किया गया था और 'पैरा-3' में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि "मृत्यु के बाद का समय: 36 घंटे के भीतर।" इस प्रकार, हमारा मानना है कि चिकित्सा साक्ष्य अपहरण की घटना के संबंध में तथा कथित चश्मदीद गवाहों के बयान का समर्थन नहीं करता है।

22. जांच अधिकारी के बयान से यह पता चला है कि मृतक का आपराधिक इतिहास था और उसके खिलाफ 27 मामले दर्ज थे। अब, बचाव पक्ष का यह विशेष मामला है कि वे सूचक के सगे-संबंधी हैं और उनके बीच भूमि-विवाद के कारण, सभी अपीलकर्ताओं/दोषियों को एफआईआर में झूठा फंसाया गया है प्रश्न में।

23. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि मृतक की हत्या की कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं है और चूंकि अभियोजन पक्ष का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, इसलिए यह मानते हुए भी कि अपीलकर्ताओं द्वारा मृतक के अपहरण के संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई कहानी सही है, फिर भी मृतक की हत्या के साथ अपीलकर्ताओं/अभियुक्तों को जोड़ने वाली कोई अन्य सामग्री नहीं है। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि जिस पिस्तौल/रिवॉल्वर/आग्नेयास्त्र से मृतक की हत्या की गई थी, वह अपीलकर्ताओं की निशानदेही पर बरामद या खोजा नहीं गया था। इस प्रकार, हथियार की कोई बरामदगी नहीं हुई है। जांच एजेंसी द्वारा वर्तमान अपीलकर्ताओं को मृतक की हत्या की घटना से जोड़ने वाला कोई अन्य साक्ष्य एकत्र नहीं किया गया है।

24. हालांकि, हमारा मानना है कि अभियोजन पक्ष अपहरण की घटना को पुख्ता सबूतों के आधार पर साबित करने में भी विफल रहा है। अपहरण की घटना के तथा कथित चश्मदीद गवाह विश्वसनीय नहीं हैं और वे मृतक के नजदीकी रिश्तेदार हैं और उक्त गवाहों के बयान में असंगति है। इस प्रकार, जब अपहरण के संबंध में अभियोजन पक्ष के बयान का पहला भाग अभियोजन पक्ष द्वारा विधिवत साबित नहीं किया गया है, तो हमारा मानना है कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में कोई अन्य सामग्री उपलब्ध नहीं है, जिससे यह कहा जा सके कि अपीलकर्ताओं ने कथित अपराध किए हैं।

25. इस प्रकार, अभियोजन पक्ष अपीलकर्ताओं के खिलाफ उचित संदेह से परे मामला साबित करने में विफल रहा है और इसलिए, विचारण न्यायालय को अपीलकर्ताओं को इस मामले में बरी कर देना चाहिए था।

26. उपर्युक्त चर्चा के मद्देनजर, बेलहर थाना कांड संख्या 225/2014 दिनांक 26.12.2014 से उत्पन्न सत्र परीक्षण संख्या 418/2017, जी.आर. संख्या 2618/2014 में विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-द्वितीय, बांका द्वारा पारित दिनांक 17.12.2019 का दोषसिद्धि का निर्णय तथा दिनांक 19.12.2019 का सजा आदेश निरस्त किया जाता है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलकर्ताओं को उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से बरी किया जाता है।

27. अपीलकर्ता, अर्थात् प्रकाश यादव उर्फ परना, आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 103/2020 में जमानत पर है। उसे उसके जमानत बांड की देनदारियों से मुक्त किया जाता है।

28. अन्य सभी अपीलकर्ता हिरासत में हैं। यदि किसी अन्य मामले में उनकी हिरासत की आवश्यकता नहीं है, तो उन्हें तत्काल हिरासत से रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।

29. तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है।

(विपुल एम. पंचोली, न्यायमूर्ति)

(रमेश चंद मालवीय, न्यायमूर्ति)

सचिन/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।